न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 223/2023 GCMS No.—2022/173

श्रीमती गोपाली देवी पुत्री रामनिवास पत्नि श्री दामोदर प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।
2. राधेश्याम पुत्र जुगलकिशोर जाति महाजन निवासी ग्राम माधोगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी केयर ऑफ दिनेश कुमार गुप्ता 2 जी डी रेल विहार सेक्टर 9 विधाधर नगर, जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार बस्सी जो उन्होंने नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 13.04.1973 में पारित किया।

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 25.10.2024

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 13.04.1973 जिससे नामान्तरकरण संख्या 24 ग्राम ग्वालिनी, हाल तहसील तूंगा स्थित कृषि भूमि का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.11.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–2 को राजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूंगा से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट प्रशनाधीन भूमि हाल कुल किता 22 कुल रकबा 4.24 हैक्टेयर वाके ग्राम ग्वालिनी, तहसील तूंगा के मूल खातेदार अपीलांट के पिता रामनिवास पुत्र रूडमल थे एवं अपीलांट के पिता रामनिवास के एकमात्र पुत्री संतान अपीलांट हुई एवं अपीलांट के अलावा अपीलांट के पिता रामनिवास के कोई

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पुत्र या पुत्री संतान नहीं हुई। रेस्पा0 संख्या 2 जो कि जुगलकिशोर का पुत्र है उसने अपने आपको रामनिवास का दत्तक पुत्र बताते हुये एवं पगडी के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि रेस्पा0 संख्या 2 के हक में कोई पंजीबद्व गोदनामा नहीं है एवं उसके अलावा रामनिवास के एकमात्र जायन्दा पुत्री के जीवित रहते हुये रेस्पा0 संख्या 2 ने अपीलांट की पैतृक भूमि को हडप करने के लिये साजिशाना तौर पर नामान्तकरण तस्दीक करवाया है जो कि अपीलांट के हक व अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है। रेस्पा0 संख्या 2 अपीलांट के पिता का पुत्र नहीं है एवं अपीलांट के पिता स्व0 रामनिवास एवं अपीलांट की माता ने कभी भी रेस्पा0 संख्या 2 को उसके जन्मदाता पिता से गोद नहीं लिया एवं अपीलांट के माता–पिता ने कभी भी रेस्पा0 संख्या 2 के पक्ष में कोई गोद की लिखावट नहीं की गयी। अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति जो कि रेस्पा0 संख्या 2 के नाम अवैध रूप से दर्ज हुयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में यह अंकन करने से पूर्व ना तो इस तथ्य की जांच की गयी कि वह नाऔलाद फौत हुआ ना ही इस तथ्य की जांच की गई कि उसके कोई जीवित वारिस है या ना नहीं जबकि अपीलांट मृतक रामनिवास की प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसे सुनवाई का अवसर प्रदान करे बिना मनमाने रूप से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट के जायन्दा रामनिवास की पुत्री होने के संबंध में अन्य भूमियों की जमाबंदी एवं पटवारी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न की गयी है। दिनांक 05.10.2022 को अपीलांट का पुत्र अपने किसी अन्य मामले में परिचित अधिवक्ता से मिलने गये एवं उस दौरान उन्होनें अपने नानाजी रामनिवास जी की भूमियों के संबंध में चर्चा की तब उन्हें अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुयी। उसके पश्चात अपीलांट ने अविलम्ब दिनांक 06.10.2022 को अपने परिचित से अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल निकलवायी एवं अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अवैधानिक रूप से खोले गये नामान्तकरण की अपील की कोई मियाद नहीं है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 13.04.1973 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पगडी एवं मुताबिक सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान उभय पक्ष अपीलांट एवं पैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 05.10.2022 को हुयी है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 24 वाके ग्राम ग्वालिनी, हाल तहसील तूंगा के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण रामनिवास के फौत होने पर रामनिवास की पगडी रेस्पा0 संख्या 2 के बंधी होने एवं ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर भरा जाकर प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 13.04.1973 को स्वीकार किया गया। अपीलांट द्वारा रामनिवास पुत्र रूडमल की जायन्दा पुत्री होने के संबंध में न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं कृषि भूमियों की जमाबंदी पेश की है जिनके अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट रामनिवास की जायन्दा पुत्री है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी जन्म से पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना है अर्थात् पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा चाहे उसके पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। इसलिए प्रथम दृष्टया अपीलाधीन आराजीयत में अपीलांट का भी पैतृक सम्पत्ति में हक, अधिकार निहित होना जाहिर होता है। **According to RRD 1992 page 648 (kanhi V. Bhairulal & anr 242) Typing of the pagri on the head of a male person in the family neither constitutes adoption nor transfer of rights in the property. It is custom that in a section of Hindus after death of a male person "pagri" is tied on the head of his son or any other person in the family – This does not have any legal consequences and is only a mere social formality.** पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया अपीलाधीन आराजीयत अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति होने से अपीलांट का अपनी पैतृक सम्पत्ति में हक, अधिकार निहित होना जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रामनिवास के जायन्दा वारिसान के संबंध में कोई जांच नहीं की जाकर केवल सरपंच के प्रमाण पत्र एवं पगडी के आधार पर ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित करने से

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 13.04.1973 बाबत नामान्तरकरण संख्या 24 वाके ग्राम ग्वालिनी, तहसील तूंगा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, तूंगा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर एवं उपरोक्त तथ्यो की रोशनी में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार तूंगा को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर